फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज् अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

वादीगण — भगवती प्रसाद

बनाम

प्रतिवादीगण — सोनाराम पुत्र वक्सुराम वगै

किस्म प्रकरण : राजस्व वाद

मुकदमा नं.–178 / 2017

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियलरा जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
23.05.2017	यह वाद वादी ने अधिवक्ता उपस्थित होकर प्रतिवादीगणो के विरूद्ध अधीन धारा 88,188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है। वाद वादी का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 30.06.2017 को पेश हो।	
26/7/17	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता पत्रावली रजाय आज के द्वार शिविर प्रा. होने पश्चात पेश हुई पीठासीन अधिकारी की मिटिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक. 30.10.17...को प्रस्तुत करें।	
30.10.17	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी की मिटिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 20.11.17.....को प्रस्तुत करें।	
20.11.17	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी की मिटिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक. 21.2.18...को प्रस्तुत करें।	
21.2.18	वकील प्रतिवादी ने प्रतिवादी सं. 02 व 03 की ओर से एक प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 मय पी.ओ. का पेश किया। प्रति वकील वादी को दिलाई गई। पत्रावली प्रति. सं. 1 से 13 की तलबी व प्रार्थनापत्र के जवाब हेतु दि 14.3.18 को पेश हो।	

उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर

Scanned by CamScanner

तारीख	भगवतीप्रसाद बनाम सोनाराम वगैरह पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश राजस्व वाद सं. 178/2017	आदेश पर अनुपालन संक्षिप्त
29.6.18	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपरो पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी सं. 02 व 03 की ओर से वकील जीयाराम गौपारा ने दिनांक 14.03.18 को एक प्रार्थना पत्र आदेश-7 नियम-11 सी.पी.सी. का पेश किया जिस की प्रति वकील वादी को जवाब देने हेतु दी गई। वकील वादी को प्रार्थना पत्र आदेश-7 नियम-11 सी.पी.सी. के जवाब हेतु पर्याप्त समय दिया गया उस के उपरान्त भी वकील वादी के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश-7 नियम-11 सी.पी.सी. का जवाब पेश नहीं किया जिस के कारण इन का जवाब बंद किया गया। वकील प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि वकील वादी के द्वारा वाद में बकसुराम की जो वंशावली पेश की है उस में बकसुराम के चार पुत्र सोनाराम, बंसूराम, सुमरराम व गुलाबराम बताये हैं व सोनाराम के वारिश भगवतीप्रसाद व हरीप्रसाद को बताया है। वाद भगवतीप्रसाद द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 88, 188 के तहत पेश किया गया है जिस में सोनाराम के दूसरे पुत्र हरिप्रसाद को वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है जिस के कारण वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष अनुचित है तथा दावा कानूनी रूप से नामंजूर किये जाने योग्य है। प्रस्तुत दावे के मुताबिक वादी अपने आप को स्व. बकसु-राम जी का वंशज बताते हुए उन के द्वारा छोड़ी गई सम्पत्तियों में हिस्सेदार मानता है परन्तु दावा बंटवारा में स्व. श्री बकसूराम के समस्त वारिशों को पक्षकार नहीं बनाया	

Scanned by CamScanner

तारीख	भगवतीप्रसाद बनाम सोनाराम वगैरह पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश राजस्व वाद सं. 178/2017	आदेश की अनुपालना का संक्षिप्त नोट
	गया है। पत्रावली का अवलोकन किया जिस से यह स्पष्ट होता है कि वादी के दावा वाद में जो वंशावली अंकित की है उस में बक्सुराम के चार पुत्र सोनाराम, बेकराम, झुमरराम व गुलाबराम बताये है तथा सोनाराम के दो पुत्र भगवतीप्रसाद व हरिप्रसाद बताये है। वादी भगवतीप्रसाद के द्वारा जो वाद पेश किया गया है उस में अपने भाई हरिप्रसाद को पक्षकार नहीं बनाया गया है वाद में तथ्य छुपाकर वाद को पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है। अतः वकील प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश-7 नियम 11 सी.पी.सी. का स्वीकार किया जाता है तथा वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद अस्वीकार कर खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।	

उपखण्ड अधिकारी
जांयल, जिला नागौर

Scanned by CamScanner